

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3877 का उत्तर

आमान परिवर्तन

3877. श्री रामदास तडसः

श्री सी.पी. जोशीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में अभी भी रेलगाड़ियों का परिचालन मीटर गेज रेल लाइनों पर किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) मीटर गेज लाइनों को ब्रॉड गेज लाइनों में परिवर्तन नहीं करने के क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) आमान परिवर्तन के संबंध में रेलवे की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है;
- (च) किन मार्गों पर आमान परिवर्तन में कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है; और
- (छ) रेलवे द्वारा उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी हां। इस समय भारतीय रेलों के विभिन्न मीटर आमान खंडों पर 30 जोड़ी गाड़ियां चलाई जा रही हैं।

(ग) से (छ): इस समय भारतीय रेल ने 56,135 करोड़ रुपए की लागत वाली 7,275 कि.मी. लंबी 55 आमान परिवर्तन परियोजनाएं आरंभ की हैं, जो निष्पादन/योजना/स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 3,573 कि.मी. लंबी रेल लाइन को चालू करने का कार्य पूरा कर लिया गया है और इस पर मार्च, 2019 तक 19,640 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों) की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालयों के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना-दर-परियोजना तथा साइट-दर-साइट पर भिन्न-भिन्न होते हैं और ये परियोजना के समापन समय तथा लागत को प्रभावित करते हैं, जिसे अंततः समापन स्तर पर निर्धारित किया जाता है।

राष्ट्र के समग्र हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन परियोजनाओं को लागत में वृद्धि किए बिना समय पर पूरा किया जा सके, रेलवे में विभिन्न स्तरों पर (फील्ड स्तर, मंडल स्तर, जोनल स्तर और बोर्ड स्तर पर) अत्यधिक निगरानी रखी जाती है और विचाराधीन मामलों, जो परियोजना की प्रगति को बाधित करते हैं, को निपटाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं।

परियोजनाओं को समय से पूर्व पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने करार में बोनस खंड के रूप में ठेकेदार को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत अपनाया है, जिससे परियोजनाओं की निष्पादन गति में संवर्धन होगा।

क्षमता संवर्धन संबंधी परियोजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये संस्थागत वित्तपोषण की व्यवस्था की गई है, जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए इस प्रतिबद्ध निधि व्यवस्था से रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।
